सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 25.03.2015 की कार्य सूची।

मद सं0–1 सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 21–01–15 की कार्यवाही का पुष्टिकरण।

मद सं0–2 सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा परिचालन पद्धति से पारित निम्नलिखित आदेशों का अनुमोदनः–

(1) प्रेमनगर–गुलरघाटी मार्ग पर अस्थाई परमिट जारी करने के आदेश दिनांक 20.12.14 का अनुमोदन। ।
(2) पूर्व में राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड के परमिटों से आच्छादित 09 एंव 12 वर्ष की आयुसीमा पूर्ण करने वाली वाहनों को ठेका गाडी परमिट जारी करने के आदेश दिनांक 17.02.2015 का अनुमोदन।
(3) माल वाहनों द्वारा वहन किये जाने वाले माल का संग्रह, भण्डारण, प्रेषण और वितरण करने वाले अभिकर्ताओं को अनुज्ञप्ति जारी करने के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 20.03.2015 का अनुमोदन।

मद सं0–03 ऋषिकेश, हरिद्वार एंव रूडकी केन्द्रो से ऑटो रिक्शा के (3+1, 4+1 व 5+1 सीटर) परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

श्री आदेश चौहान, मा0 विधायक बीएचईएल, रानीपुर, हरिद्वार तथा श्री प्रदीप बतरा, मा0 विधायक, रूडकी, पर्यटन सलाहकार, के मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार एंव मा0 परिवहन मंत्रीजी को सम्बोधित पत्र क्रमश 18.03.14 एंव दिनांक 28.08. 2014 को संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 10.09.2014 को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया था। प्राधिकरण ने बैठक में संकल्प सं0 30(ब) में विचारोपरान्त निर्णय लिया था कि हरिद्वार, ऋषिकेश एंव रूडकी केन्द्रो के लिये 3+1, 4+1 एंव 5+1 वाहनों के ऑटो रिक्शा परमिट निम्नलिखित शर्तों के साथ आगामी 05 वर्षों हेतु नई ऑटो रिक्शा वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 30.11.2014 तक जारी किये जायेंगे, तत्पश्चात् स्वीकृति स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी। हरिद्वार एंव ऋषिकेश केन्द्र (पहाडी मार्गो को छोडकर) के परमिट 25 किमी0 अर्द्धव्यास एंव रूडकी केन्द्र के परमिट 16 किमी0 अर्द्धव्यास के लिये स्वीकृत किये जाते हैं।

1– हरिद्वार एंव रूडकी केन्द्र हेतु आवेदक हरिद्वार जनपद का स्थाई निवासी हो तथा ऋषिकेश केन्द्र हेतु उपसंभागीय परिवहन कार्यालय, ऋषिकेश के अधिसूचित कार्यक्षेत्र का स्थाई निवासी हो। इस हेतु मतदाता परिचय पत्र/स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2– आवेदक बेरोज़गार हो।
3– आवेदक के पास पूर्व में निर्गत कोई परमिट न हो।
4– आवेदक के पास में हल्का वाणिज्यिक मोटर वाहन चलाने का चालक लाईसेंस हो।
5– परमिट को परमिट धारक न्यूनतम 3 वर्षों तक किसी को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा।

प्राधिकरण के आदेश दिनांक 10.09.2014 से दिनांक 10.11.2014 तक हरिद्वार केन्द्र हेतु 1356, ऋषिकेश केन्द्र हेतु 238 एंव रूडकी केन्द्र हेतु 57 ऑटो रिक्शा के परमिट प्राप्त करने हेतु स्वीकृति पत्र जारी किये गये थे।

ऋषिकेश तथा हरिद्वार केन्द्र से परमिट जारी करने के विरूद्ध प्राप्त आपत्तियों पर प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.11.14 में संकल्प सं0 4 के अन्तर्गत प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि ***सम्बन्धित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एंव क्षेत्राधिकारी (पुलिस) की संयुक्त कमेटी गठित की जाती है। जो निम्नलिखित बिन्दुओ पर प्राधिकरण को अपनी आख्या उपलब्ध करायेगी:–***

1. ऋषिकेश/ हरिद्वार केन्द्र हेतु ऑटो रिक्शा के परमिटों हेतु प्राप्त आवेदनों की जॉच कर ऐसे आवेदकों की सूची जो विगत 03 वर्षो में ऑटो रिक्शा/विक्रम टैम्पो के परमिट धारक रहे हो।

2. सम्बन्धित क्षेत्र में ऑटो रिक्शा वाहनों हेतु ऐसे कम दूरी के मार्गों का सर्वे कर प्रस्ताव, जहॉ विस्थापन एंव विकास गतिविधियों के कारण नयी कॉलोनियों का निर्माण हुआ हो तथा परिवहन की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नही हो पा रही हो। प्रस्तावित मार्ग सामान्यतया: 5 से 15 किमी0 की दूरी के होगें। विशेष परिस्थितियों में कारण का उल्लेख करते हुये उक्त सीमा का अतिक्रमण किया जा सकता है।

3. परमिट की कालाबाजारी पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु परमिट अन्तरण पर रोक लगाने के सम्बन्ध में आख्या। इसके लिये स्थानीय चालकों, परमिट धारकों, परिवहन संगठनो, जनप्रतिनिधियों एंव स्थानीय जनता से सुझाव प्राप्त किये जा सकते हैं।

4. सम्बन्धित क्षेत्र की पार्किंग सुविधा एंव यातायात के दवाब के दृष्टिगत वर्तमान में संचालित ऑटो वाहन के अतिरिक्त कितने ऑटो वाहनों को परमिट जारी किये जा सकते है?

संयुक्त कमेटी के द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर आख्या सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून को प्रेषित की जायेगी। जिसे प्राधिकरण के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा तथा तब तक ऋषिकेश एंव हरिद्वार केन्द्र के परमिट एंव स्वीकृति पत्र जारी नहीं किये जायेगें।

प्राधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुपालन में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), हरिद्वार/ऋषिकेश की आख्या को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21.01.2015 की बैठक में प्रस्तुत किया था। प्राधिकरण ने प्राप्त आख्याओं का अवलोकन करने के पश्चात निम्न प्रकार निर्णय लिया था।

(क) <u>ऋषिकेश केन्द्र</u>

1. ऋषिकेश कार्यालय में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 तथा दिनांक 10.11.14 में पारित आदेशों के क्रम में जिन 40 प्रार्थियों के द्वारा अपनी वाहनों का पंजीयन करा दिया गया है। उनको ऋषिकेश केन्द्र से पहाडी मार्गों को छोडकर 25 किमी0 अर्द्वब्यास के परमिट जारी कर दिये जायें।

2. प्राधिकरण द्वारा बैठक दिनांक 10.09.2014 में लिये गये निर्णय के अनुसार जिन प्रार्थियों को स्वीकृत पत्र जारी किये गये हैं परन्तु उनके द्वारा वाहन का पंजीयन नहीं कराया गया है उनको परमिट जारी करने के सम्बन्ध संयुक्त समिति द्वारा ऋषिकेश क्षेत्र के सुझाये गये उक्त 11 मार्गों में से सभी मार्गों अथवा 04 या 05 मार्गों को जोडकर एक क्लस्टर बनाकर परमिट देने की सम्बन्ध में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश से आख्या प्राप्त कर बैठक

में प्रस्तुत की जाये। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश उक्त सुझाये गये 11 मार्गों में से लाभदायक, कम लाभदायक मार्गों में वर्गीकरण कर 3–4 मार्गो का क्लस्टर बनाकर (प्रत्येक मार्ग में आवश्यक परमिटों की संख्या सहित) संस्तुति करेंगे, जिससे वाहन स्वामियों को प्रर्याप्त आजीविका एंव सम्बन्धित मार्ग के आसपास की जनसंख्या को प्रर्याप्त परिवहन सुविधा मिल सके। प्राप्त आख्या विचार हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

(ख) हरिद्वार केन्द्र

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), हरिद्वार द्वारा ऑटो रिक्शा वाहनों के संचालन हेतु संयुक्त समिति की आख्या में जिन 06 मार्गों का सर्वेक्षण कर सूची प्रेषित की है। उनमें से अधिकत्तर मार्ग रूडकी क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। हरिद्वार में वर्ष 2016 में होने वाले अर्द्व कुम्भ को देखते हुये प्राधिकरण के द्वारा निर्णय लिया गया है कि सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन), देहरादून, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), हरिद्वार एंव सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, रूडकी की एक कमेटी गठित करते हुये निर्देश दिये जाते हैं कि वे हरिद्वार शहर मे आने वाले मार्गों का सर्वेक्षण कर ऐसे मार्गो की सूची प्रेषित करें जिनमें ऑटो रिक्शा वाहन संचालित किये जा सकें। हरिद्वार में काफी ओद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहा है। यदि हरिद्वार के अतिरिक्त अन्य केन्द्र ऑटो रिक्शा संचालन हेतु निर्मित किया जा सकता है तो इस सम्बन्ध में भी आख्या उपलब्ध करायें। पूर्व संयुक्त समिति की उक्त आख्या में सुझाये गये 06 मार्गों के साथ नये सुझाये जाने वाले मार्गों पर मार्गवार कितने–कितने परमिट स्वीकृत किया जाना उचित होगा की आख्या प्राप्त कर प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाये।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून ने अपनी बैठक दिनांक 10.09.2014 में संकल्प सं0 6 के द्वारा वाहन पंजीयन के पश्चात विलम्ब से परमिट प्राप्त करने पर निम्नलिखित प्रशमन शुल्क निर्धारित किया हैः–

1. **नई पंजीकृत यात्री वाहनों के लिये**

(क) पंजीकृत होने के पश्चात सात दिन तक – निशुल्क।

(ख पंजीकृत होने के सात दिन के पश्चातः–

12 सीटिंग क्षमता तक की वाहन(चालक को छोडकर) – रू0 1000 प्रति माह।

12 सीटिंग क्षमता से अधिक की वाहन (चालक को छोडकर) – रू0 1500 प्रति माह

2. **भार वाहनों के लियेः–**

(क) पंजीकृत होने अथवा परमिट समाप्त होने के पश्चात सात दिन तक– निशुल्क।
(ख) सात दिन के पश्चातः–
हल्की भार वाहन –रू0 500 प्रति माह।
मध्यम भार वाहन –रू0 1000 प्रति माह।
भारी माल वाहन –रू0 2000 प्रति माह।

प्राधिकरण ने विचार किया कि उक्त वाहनों को दिनांक 10.09.14 की बैठक में स्वीकृति के आधार पर पंजीयन किया गया था। परन्तु प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.11.14 के संकल्प सं0 4 द्वारा परमिट जारी किया जाना स्थगित किया गया था। जिस कारण पंजीयन की तिथि एंव परमिट प्राप्त करने पर विलम्ब होना स्वभावित है। जिसमें वाहन स्वामी की कोई त्रुटि नहीं है।

अतः प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उपरोक्त निर्णय से प्रभावित ऐसे वाहन जो दिनांक 30.11.14 तक पंजीकृत हो चुके हैं परन्तु उनके द्वारा परमिट प्राप्त नहीं किया जा सका। उन वाहनों को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में संकल्प सं0 6 में निर्धारित प्रशमन शुल्क से मुक्त किया जाता है।

प्राधिकरण द्वारा पारित उक्त निर्णय के अनुपालन में गठित कमेटी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन) देहरादून, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन) हरिद्वार एंव सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, रूडकी की आख्या सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन) हरिद्वार के पत्र सं0 409/प्रवर्तन–हरिद्वार/ मार्ग सर्वे/2014–15 दिनांक 11.03.15 द्वारा प्राप्त हुई है। जो निम्नवत हैः–

"महोदय इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपके आदेशों के अनुपालन में गठित की गई संयुक्त कमेटी जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी (पुलिस) एंव सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन) हरिद्वार द्वारा इस कार्यालय के पत्र सं0 221/प्रवर्तन–हरिद्वार/मार्ग सर्वे/2014–15 दिनांक 17.01.2015 के द्वारा ऑटो रिक्शा के सम्बन्ध में सर्वे आख्या प्रेषित की गई थी। जिसमें तीन क्षेत्र रूडकी के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये एंव तीन क्षेत्र जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत शामिल किये गये थे। प्रश्नगत प्रकरण पर यह सुनिश्चित किया गया था कि

जनपद हरिद्वार के हर क्षेत्र में आने जाने की परिवहन व्यवस्था हो सके। उपरोक्त के अतिरिक्त सिडकुल रोशनाबाद क्षेत्र में परिवहन सुविधा कम होने के कारण परमिट दिया जाना श्रेष्यकर होगा। महोदय उपरोक्त रूटों का ब्यौरा निम्नवत है।

क0 सं0	**क्षेत्र**	**मार्ग**	**दूरी(पूर्व में दी गई सूचना के आधार पर)**
1.	हरिद्वार	1. चण्डी देवी–काली मन्दिर–चीला वन विभाग गेट तक।	35 किमी0
		2. सिडकुल रोशनाबाद मार्ग	–
2.	लक्सर	1. खानपुर–सुल्तानपुर– ब्रहमपुर उ0प्र0 की सीमा तक।	19 किमी0
		2. लक्सर से ब्रहमपुर तक।	18 किमी0 (अनुमानित)
3.	रूड़की	1. बुग्गावाला–बिहारीगढ मार्ग	8.4 किमी0
		2. झबरेडा–चूडियाला–भगवानपुर–गागलहेड़ी (उ0प्र0 की सीमा तक)	24 किमी0
		3. मंगलौर–लखनौता तिराहा (उ0प्र0 की सीमा तक ग्लास फैक्ट्री तक)।	11.5 किमी0

प्राधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुपालन में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश ने अपने पत्र सं0 237/सा0प्रशा0/ऑटो/2015 दिनांक 19.03.15 द्वारा आख्या प्रेषित की है। जो निम्न प्रकार है।

"————————निर्देशों के क्रम में ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत कलस्टरवार मार्गों की सूची आवश्यक परमिटों की संख्या सहित की आख्या महोदय की सेवा में निम्नवत हैः–

क्लस्टर–1

क0सं0	मार्ग का नाम	प्रभावित आबादी	आवश्यक परमिटों की संख्या
1.	ढालवाला– नटराज चौक– मनसादेवी– श्यामपुर पुलिस चौकी–खदरी, खडकमाफी मार्ग, (अनुमानित दूरी–7 किमी0)	10,000	
2	श्यापुर पुलिस चौकी– भट्टोवाला गॉव से निर्मल आई	5000	

	हॉस्पिटल (अनुमानित दूरी–5 किमी0)		
3	नीमकरोली मंदिर, आई0डी0पी0एल0– एम्स– आवास विकास कॉलोनी मार्ग (अनुमानित दूरी–6 किमी0)	5000	50
4	म्नसादेवी–रेलवे क्रासिंग–मनसादेवी गॉव मार्ग (अनुमानित दूरी–6 किमी0)	5000	
5.	आईडीपीएल–गीतानगर–आवास विकास कॉलोनी मार्ग (अनुमानित दूरी–7 किमी0)	5000	

क्लस्टर–2

क्र0सं0	मार्ग का नाम	प्रभावित आबादी	आवश्यक परमिटों की संख्या
1.	रानीपोखरी–घमण्डपुर मार्ग (अनुमानित दूरी–7 किमी0)	5000	50
2	कान्हरवाला–शूरवीर सिंह चौक– अपर जौली ग्रांट मार्ग (अनुमानित दूरी–7 किमी0)	5000	
3	जौली ग्रान्ट–अठठूरवाला–बालकुमारी गॉव मार्ग (अनुमानित दूरी–7 किमी0)	5000	
4	डांडी–भोगपुर–थानों मार्ग (अनुमानित दूरी–8 किमी0)	5000	
5.	रायवाला–प्रतीतनगर–जीआरटीयू–रायवाला मार्ग (अनुमानित दूरी–6 किमी0)	5000	
6.	लालतप्पड–रेशममाजरी–जीवनवाला मार्ग (अनुमानित दूरी–8 किमी0)	5000	

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत करना है कि प्राधिकरण के आदेश दिनांक 10.09.2014 के अनुपालन में प्रार्थियों को ऋषिकेश केन्द्र (पहाडी मार्गो को छोडकर), हरिद्वार केन्द्र से 25 किमी0 अर्द्धव्यास के तथा रूडकी केन्द्र के 16 किमी0 अर्द्धव्यास के परमिट जारी करने हेतु स्वीकृति पत्र जारी किये गये हैं।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त निर्णय पारित करना चॉहें।

मद सं0–04 **देहरादून–रायपुर– मालदेवता मार्ग पर चालक को छोडकर 06 से अधिक सीटर, चार पहिया हल्की वाहनों को स्थाई सवारी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में श्री विजय सिंह पुण्डीर तथा अन्य के प्रत्यावेदन दिनांक 03.03.15 पर विचार व आदेश।**

उपरोक्त मामले में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21.01.2015 में संकल्प सं0 2 में निम्नलिखित आदेश पारित किये थेः–

इस मद के अन्तर्गत देहरादून–रायपुर– मालदेवता मार्ग पर हल्की चार पहिया वाहनों का स्टैज कैरिज परमिट स्वीकृत/जारी करने के सम्बन्ध में विचार किया गया।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 10.09.14 में देहरादून–रायपुर–मालदेवता मार्ग पर चल रही 7/8 सीटर, 04 पहिया हल्की वाहनों की संख्या बढ़ाये जाने तथा इन वाहनों को स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया था। परन्तु मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में उक्त प्रकार की वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट जारी किये जाने के विरूद्ध याचिका सं0 2076/एमएस/14 दायर की गई थी। इस याचिका में मा0 उच्च न्यायालय के द्वारा विकम टैम्पो, महेन्द्रा मैक्सिमो तथा टाटा मैजिक वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट दिये जाने पर रोक लगा दी थी। जिससे उक्त मार्ग पर पूर्व से जारी अस्थाई परमिटों पर संचालित वाहनों को पुनः अस्थाई/स्थाई परमिट जारी करना स्थगित कर दिया गया था। इन आदेशों के विरूद्ध मार्ग के वाहन स्वामियों के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका सं0 2319/एमएस/2014 दायर की गई थी। मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल ने दिनांक 02.12.2014 को याचिका का निस्तारण करते हुये आदेश पारित किये हैं। पारित आदेशों के मुख्य अशं निम्नवत हैंः–

"Mr. A.K. Joshi, learned Additional Cheif Standing Counsel appearing for the respondents, submits that application of the petitioners seeking renewal of temporary permit shall be considered and decided in accordance with law preferably within sixty days from today."

इसके अतिरिक्त मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल ने दिनांक 19.11.14 को याचिका सं0 2076/एमएस/14 के साथ याचिका सं0 2119/एमएस/14 एंव 2127/एमएस/14 का निस्तारण किया है। चूकि उक्त तीनो याचिकाओं में विधि के समान प्रश्न सम्मिलित होने के कारण एक ही निर्णय से निस्तारित किया है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेयउक्त याचिकाओं में समान प्रश्न यह था कि क्या टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमों व थ्री व्हीलर टैम्पो वाहनों को मोटर गाडी अधिनियम 1988 के धारा 72 के अन्तर्गत मंजिली गाडी का परमिट दिया जा सकता है या नही? मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.14 के निर्णय में मोटर गाडी अधिनियम की धारा 72, 2(40), 2(28) का समेकित अध्ययन किया तथा कहा कि यदि धारा 2 की उपधारा 28 व 40 का अध्ययन धारा 72 के साथ पढ़ा जाये तो केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि प्राधिकरण ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर ऐसी ***Modification*** *के साथ जो कि वह उचित समझें, ऐसी शर्तों के अधीन जो कि परमिट के साथ आरोपित की जाये, किसी वाहन को स्टैज कैरिज के रूप में विशिष्ट मार्ग व क्षेत्रों में प्रयोग के लिये स्टैज कैरीज परमिट प्रदान कर सकता है जो स्टेज कैरीज की शर्तो को पूर्ण करती हों।*

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में शासकीय अधिवक्ता, देहरादून से विधिक राय देने हेतु निवेदन किया गया था। शासकीय अधिवक्ता ने अपने पत्र दिनांक 18.12.14 के द्वारा अपनी विधिक राय में उल्लेख किया है कि जो टैम्पो थ्री व्हीलर, मैक्सिमों, टाटा मैजिक अधिनियम तथा अधिनियम के अधीन स्टैज कैरिज की परिभाषा/शर्तों को पूरी करते हों उनके पक्ष में स्टैज कैरिज परमिट जारी किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

प्राधिकरण ने उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर गम्भीरता से विचार कर निर्णय लिया कि टैम्पो थ्री व्हीलर, मैक्सिमों, टाटा मैजिक वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट जारी करने के सम्बन्ध में एक समिति गठित की जाती है। जिसमें संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून अध्यक्ष तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन), देहरादून एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) देहरादून सस्दय होगें। समिति द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एंव मोटर गाडी अधिनियम एंव नियमावली में दिये गये प्राविधानों के अनुसार उपरोक्त प्रकार के वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट जारी के सन्दर्भ में अपनी आख्या/मन्तब्य प्रस्तुत किया जायेगा। समिति की आख्या को प्राधिकरण के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

प्राधिकरण के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा गठित समिति ने आख्या प्रस्तुत की है। जो संलग्नक–1 है। समिति द्वारा प्रस्तुत की गई आख्या का निष्कर्ष निम्नवत हैः–

"समिति मोटरगाडी अधिनियम 1988 की धारा 2(28), (40) एंव धारा 72 एंव उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली के नियम 67 दिये गये प्राविधानों का अध्ययन करने के पश्चात सर्व सम्मति इस निर्णय पर पहुॅची की छः से अधिक यात्रियों को ढोने वाली वाहनें मजिली गाडी श्रेणी में आती हैं। टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमों वाहनें जो छः से अधिक सवारियॉ ढोने के लिये निर्मित हैं, उनको स्टैज कैरिज परमिट जारी किया जा सकता है। इसी प्रकार जो विक्रम टैम्पो वाहनें जिनमें बैठने की क्षमता चालक को छोडकर छः से अधिक हो तथा उसके इंजन की क्षमता 25 घनमीटर से अधिक है ऐसी वाहनें मोटरयान की श्रेणी में आते हैं एंव इन वाहनों को स्टैज कैरिज का परमिट दिया जा सकता है। उपरोक्त रिट याचिकाओं मे उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली के नियम 136, 137, 138, 140, 153, 155, 157 व 160 के आधार पर टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमों एंव थ्री व्हीलर टैम्पो वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट दिये जाने पर आपत्ति ब्यक्त की गई है, जिसका संज्ञान समिति द्वारा लिया गया। समिति सर्व सम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुॅची है कि पंजीयन अधिकारी द्वारा चालक को छोड़कर छः से अधिक सवारियों को वहन करने वाले प्रत्येक टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमो तथा विक्रम थ्री व्हीलर प्रकार की वाहनों हेतु उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 136, 137, 138, 140, 153, 155, 157 व 160 पालन किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जारी किये जाने पर मंजिली गाडी परमिट जारी करने की कार्यवाही की जा सकती है।"

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त निर्णय पारित करना चॉहें।

मद सं0–05 **श्री सतीश कुमार शाह द्वारा दायर याचिका सं0 121/एमएस/15 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.01.15 के अनुपालन में याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन दिनांक 30.12.14 पर विचार व आदेश।**

कार्यालय अभिलेखानुसार याचिकाकर्ता श्री सतीश कुमार शाह के नाम पर देहरादून केन्द्र से जारी परमिट संख्या टैम्पो–4222 है जो दिनांक 12.06.2016 तक वैध है। टैंम्पो परमिट ठेका गाडी की श्रेणी मे आते है।

श्री सतीश कुमार शाह पुत्र श्री राम धनिक शाह निवासी 15 चिडौवाली कन्डोली देहरादून, ने मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल मे याचिका संख्या 121/2015 दायर की है। इस याचिका में निवेदन किया गया है कि उनके प्रतिवेदन (याचिका का संलग्नक–3) को निस्तारित करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी को आदेश दिये जाये। मा0 उच्च न्यायालय ने इस याचिका का निस्तारण करते हुये दिनांक 21.01.2015 को निम्न आदेश पारित किये हैः–

Mr. A.K.Joshi, Joshi, Additional Chief Standing Counsel appearing for the respondents, submits that since, the only prayer of the petitioner is that appropriate decision should be taken on his representations, respondents shall take appropriate decision on the representation of the petitioner in accordance with law preferably within six weeks from today.

याचिकाकर्ता श्री सतीश कुमार शाह ने अपने प्रतिवेदन मे उल्लेख किया है कि वे वाहन संख्या यूके07टीए 4736 के स्वामी है। उक्त वाहन में चालक को छोडकर 7 सवारी ढोने की क्षमता है तथा वे वर्ष 2011 से अपनी वाहन देहरादून शहर मे संचालित कर रहे हैं। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा श्री प्रशांत डोभाल की याचिका संख्या 2076/14 मे पारित आदेश दिनांक 19.11.2014 के अनुसार तथा मोटरगाडी अधिनियम 1988 की धारा–2(40) के अनुसार उनकी वाहन को स्टैज कैरिज परमिट दिया जा सकता है। उन्होंने निवेदन किया है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशो के अनुसार उनकी वाहन के लिये स्टैज कैरिज परमिट स्वीकृत किया जाये।

इस सम्बन्ध अवगत करना है कि मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19.11.14 मे उल्लेख किया है कि प्राधिकरण द्वारा मोटर गाडी अधिनियम, 1988 एंव उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 में दिये गये प्राविधानों का संज्ञान लेते हुये टैम्पो थ्री व्हीलर, मैक्सिमों, टाटा मैजिक वाहनों को मंजिली गाडी परमिट जारी करने पर विचार किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत करना है कि याचिकाकर्ता के द्वारा मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 70– **(मंजिली–गाडियों का परमिट हेतु आवेदन)** में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता को कार्यालय के पत्र सं0615/आरटीए/दस–71(डी)/2015 दिनांक 19.02.2015 के द्वारा सूचित कर

दिया गया है कि नियमानुसार प्रक्रिया का पालन न करने के कारण वर्तमान में उनको मंजिली गाड़ी परमिट स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में याचिका सं0 2076/14 एंव 2119/14 एंव 2127/14 दायर तीनों याचिकाओं में विधि के समान प्रश्न होने के कारण मा0 उच्च न्यायालय ने अपने एक ही आदेश दिनांक 19.11.14 के द्वारा इन याचिकाओं का निस्तारण कर दिया था। मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेशों के मुख्य अशं निम्नवत हैः–

"As per sub-section (28) of Section 2, a vehicle running upon fixed rails or a vehicles of a special type adapted for use only in a factory or in any other enclosed premises or a vehicle having less than four wheels fitted with engine capacity of not exceeding twenty-five cubic centimeters does not fall within the definition of "motor vehicle.

As per sub-section (40) of section 2, only such motor vehicles, which carry more than six passengers excluding the driver for hire or reward at separate fares paid by or for individual passengers, either for the whole journey or for stages of the journey will within the definition of "stage carriage". The sine qua non to attract sub-section (40) of Section 2 is that vehicle should be capable of carrying more than six passengers excluding the driver.

If sub-sections (28) and (40) of Section 2 are read together along with Section 72 of the Act, the only interpretation would be that Transport Authority may, on the application made to it, grant a stage carriage permit in accordance with application with such modification as it deems fit subject to the conditions attached to the permit, to use vehicle or stage carriage for the specified area or on a specified route or routes. It means, if vehicle is having less than four wheels fitted with engine capacity of not exceeding 25 cubic centimeters, it will not fall within the definition of "vehicle" under sub-section (28) of Section 2 and if vehicle is not capable of carrying more than six passengers, it will not fall within the definition of "stage carriage'. Therefore, no stage carriage permit can be granted in favour of such vehicles.

In my considered opinion, if a vehicle does not fall within the definition of "stage carriage", no route can be formulated for such vehicles, which do not fall within the definition of "stage carriage."

"..... Transport Authorities in the event of receiving any application seeking stage carriage permit shall take into consideration the definition of the "Stage Carriage" as provided in sub-Section (40) of Section 2 of the Act as well as Rule 67 of the Uttarakhand Motor Vehicles Rules, 2011 and shall take decision thereafter in accordance with law. Further contends that mere addition of an Agenda for discussion in a meeting of RTA does not mean that in

any case stage carriage permit has to be granted to those vehicles, which do not fall within the definition of "Stage Carriage".

जहॉ तक उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 67 का प्रश्न है। इस नियम में यह व्यवस्था दी गई है कि मोटरयान नियमावली 1988 की धारा 6(3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये धारा–66(1) ऐसे सभी वाहनों में लागू होगा जो 09 से अधिक ब्यक्तियों को ढोने हेतु अनुकूलित है। यह नियम मंजिली गाडी या ठेका गाडी परमिट स्वीकृत करने के लिये यानों में बैठने की क्षमता के सम्बन्ध में कोई सीमा निर्धारित नहीं करता है।

इस सम्बन्ध मे अवगत करना है कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में मद संख्या 36 के अन्तर्गत विक्रम टैम्पो वाहनो का संचालन स्टैज कैरिज के रूप में करने तथा इन वाहनो के संचालन हेतु मार्ग निर्मित करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेश से प्रस्तुत किया गया था। परन्तु प्राधिकरण ने मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल मे याचिका संख्या 2076/एमएस/14 विचाराधीन होने के कारण मामले पर विचार करना स्थगित कर दिया था।

उपरोक्त मामले पर पुनः दिनांक 21.01.2015 को संकल्प सं0 2 के द्वारा प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि ***टैम्पो थ्री व्हीलर, मैक्सिमों, टाटा मैजिक वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट जारी करने के सम्बन्ध में एक समिति गठित की जाती है। जिसमें संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून अध्यक्ष तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन), देहरादून एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) देहरादून सस्दय होगें। समिति द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एंव मोटर गाडी अधिनियम एंव नियमावली में दिये गये प्राविधानों के अनुसार उपरोक्त प्रकार के वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट जारी के सन्दर्भ में अपनी आख्या/मन्तब्य प्रस्तुत किया जायेगा। समिति की आख्या को प्राधिकरण के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।***

याचिकाकर्ता द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन में अपने विक्रम वाहन को मंजिली गाडी परमिट स्वीकृत करने की मॉग की गई है। मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल ने उक्त तीनो याचिकाओं 2076/एमएस/11, 2119/एमएस/2011 एंव 2127/14 में विधि के समान प्रश्न होने के कारण अपने एक आदेश दिनांक 19.11.14 के द्वारा निस्तारण करते हुये उल्लेख किया है कि प्राधिकरण द्वारा मोटर गाडी अधिनियम, 1988 एंव उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 में

दिये गये प्राविधानों का संज्ञान लेते हुये टैम्पो थ्री व्हीलर, मैक्सिमों, टाटा मैजिक वाहनों को मंजिली गाडी परमिट जारी करने पर विचार किया जायेगा। मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में प्राधिकरण के द्वारा अधिनियम एंव नियमावली में दी गई प्राविधानों का अध्ययन कर अपनी आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु 03 सदस्यीय कमेठी का गठन किया गया था। प्राधिकरण के आदेशों के अनुपालन में समिति ने अपनी आख्या प्रस्तुत कर दी है। आख्या की प्रति संलग्नक–1 है। समिति द्वारा प्रस्तुत की गई आख्या का निष्कर्ष निम्नवत हैः–

"समिति मोटरगाडी अधिनियम 1988 की धारा 2(28), (40) एंव धारा 72 एंव उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली के नियम 67 दिये गये प्राविधानों का अध्ययन करने के पश्चात सर्व सम्मति इस निर्णय पर पहुॅची की छः से अधिक यात्रियों को ढोने वाली वाहनें मजिली गाडी श्रेणी में आती हैं। टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमों वाहनें जो छः से अधिक सवारियॉ ढोने के लिये निर्मित हैं, उनको स्टैज कैरिज परमिट जारी किया जा सकता है। इसी प्रकार जो विक्रम टैम्पो वाहनें जिनमें बैठने की क्षमता चालक को छोडकर छः से अधिक हो तथा उसके इंजन की क्षमता 25 घनमीटर से अधिक है ऐसी वाहनें मोटरयान की श्रेणी में आते हैं एंव इन वाहनों को स्टैज कैरिज का परमिट दिया जा सकता है। उपरोक्त रिट याचिकाओं मे उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली के नियम 136, 137, 138, 140, 153, 155, 157 व 160 के आधार पर टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमों एंव थ्री व्हीलर टैम्पो वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट दिये जाने पर आपत्ति ब्यक्त की गई है, जिसका संज्ञान समिति द्वारा लिया गया। समिति सर्व सम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुॅची है कि पंजीयन अधिकारी द्वारा चालक को छोड़कर छः से अधिक सवारियों को वहन करने वाले प्रत्येक टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमो तथा विक्रम थ्री व्हीलर प्रकार की वाहनों हेतु उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 136, 137, 138, 140, 153, 155, 157 व 160 पालन किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जारी किये जाने पर मंजिली गाडी परमिट जारी करने की कार्यवाही की जा सकती है।"

याचिकाकर्ता ने मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश दिनांक 21.01.2015 की छायाप्रति दिनांक 15.02.2015 को कार्यालय में उपलब्ध करायी है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उनके प्रतिवेदन का निस्तारण आदेश की तिथि से 06 सप्ताह के अन्दर किया जाना है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त निर्णय पारित करना चॉहें।

मद सं0–06 **विकास नगर विक्रम जन कल्याण समिति की याचिका सं0 1516/एमएस/14 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.01.15 के अनुपालन में याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन दिनांक 11.02.15 पर विचार व आदेश।**

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, विकासनगर के पत्र सं0 56/सा0प्र0/वाद सं0– 1516/2014/एमएस/14 दिनांक 21.02.2015 के साथ मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा याचिका सं0 1516/एमएस/14 विकासनगर विक्रम जनकल्याण समिति बनाम उत्तराखण्ड राज्य एंव अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.01.2015 को संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही करने का अनुरोध किया है। इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि विक्रम जनकल्याण सेवा समिति, देहरादून ने दिनांक 11.02.14 के प्रत्यावेदन के द्वारा अवगत कराया था कि उनके विक्रम टैम्पो वाहनें विकासनगर केन्द्र से 25 किमी0 अर्द्धव्यास हेतु जारी ठेका गाडी परमिट पर संचालित हो रहे हैं। आरटीए द्वारा विक्रमों को ठेका गाडी परमिट जारी करते हुये क्षेत्र/प्रारम्भ बिन्दु स्पष्ट रूप से अंकित किया है। परन्तु मैक्सिमों मिनी वाहनों को ठेका गाडी जारी करते समय प्रारम्भिक बिन्दु अंकित नहीं किया गया है। प्रारम्भिक बिन्दु अंकित किये जाने के स्थान पर प्राधिकरण ने प्रारम्भिक बिन्दु **"देहरादून"** अंकित किया है, जो स्पष्ट नहीं है। मिनी वाहनों के ठेका गाडी परमिटों पर प्रारम्भिक बिन्दु अंकित न होने के कारण विक्रम टैम्पो वाहनों को समस्या का सामना करना पड रहा है। समय–समय पर मिनी वाहन संचालकों द्वारा विक्रम संचालकों के क्षेत्र में संचालन से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। समिति द्वारा उक्त कारणों से मिनी वाहन संचालकों के परमिट पर क्षेत्र/रूट स्पष्ट अंकित किये जाने की मॉग की गई है।

उपरोक्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही की मॉग करते हुये विक्रम जन कल्याण समिति के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका 1516/एमएस/14 दायर की गई है। मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल ने दिनांक 09.01.2015 को याचिका का निस्तारण करते हुये आदेश पारित किये हैं:–

"Mr. A.K. Joshi, Addl. C.S.C. for the State submitted that an appropriate decision on Annexure no. 3 to the writ petition shall be taken by the respondent no. 4 in accordance with law preferably within four weeks from today and decision so taken shall be communicated to the petitioner.

Without expressing any opinion on the merit of the case and entitlement of the petitioner, present petition, thus stands disposed of in the light of statement made by Mr. A.K. Joshi, learned Addl. C.S.C

इस सम्बन्ध में आख्या निम्नवत हैः–

मोटरगाडी अधिनियम 1988 की धारा–74 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून ने संभाग के अन्तर्गत विभिन्न केन्द्रो जैसे देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, विकासनगर, धर्मावाला, बडोवाला आदि केन्द्रो से 25/40 किमी0 अर्द्धव्यास तक संचालन करने हेतु विक्रम टैम्पो वाहनों को ठेका गाडी परमिट जारी किये हैं।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून द्वारा 07/08 सीटर चार पहिया या उससे अधिक सीटिंग क्षमता वाली छोटी वाहनों को देहरादून संभाग(पहाडी मार्गों को छोडकर/सहित) या देहरादून/पौडी संभाग (पहाडी मार्गों को छोडकर/सहित) हेतु वाहन संचालन हेतु परमिट जारी किये हैं।

मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 74(1) में वर्णित है किः–

(1) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण धारा 73 के अधीन उसे आवेदन किए जाने पर उस आवेदन के अनुसार या ऐसे उपांतरणों सहित, जो वह ठीक समझता है ठेका गाड़ी परमिट दे सकेगा या ऐसा परमिट देने से इंकार कर सकेगा।

परन्तु ऐसा कोई परमिट ऐसे किसी क्षेत्र के लिए नहीं दिया जाएगा जो आवेदन में विनिर्दिष्ट नहीं है।

(2) यदि प्रादेशित परिवहन प्राधिकरण यह विनिश्चय करता है कि ठेका गाडी परमिट दिया जाए तो वह ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं, परमिट के साथ निम्नलिखित शर्तो में से कोई एक या अधिक शर्ते लगा सकेगा, अर्थात्

(क) यानों का उपयोग विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अथवा विनिर्दिष्ट मार्ग या मार्गो पर ही किया जाएगा।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून ने अपनी विभिन्न बैठकों में उक्त धारा के अधीन विक्रम टैम्पो वाहनों को छोटी दूरी अर्थात सीमित क्षेत्र 25/40 किमी0 अर्द्धव्यास परिधि के ठेका गाडी के रूप में संचालित किये जाने हेतु परमिट स्वीकृत किये हैं। जिससे उक्त वाहनों का संचालन परमिट में दी गई परिधि के अन्तर्गत ही किया जाना है। अतः यह सुनिश्चित करने हेतु कि उक्त वाहनें अपनी परिधि के अन्तर्गत संचालित हो, प्राधिकरण के द्वारा इन वाहनों के केन्द्र बिन्दु तय किये हैं।

परन्तु 07/08 सीटर, चार पहिया छोटी या उससे अधिक सीटिंग क्षमता वाली वाहनों को देहरादून संभाग (पहाड़ी मार्गो सहित/छोडकर), देहरादून एंव पौड़ी संभाग के लिये ठेका गाडी के रूप में वाहनों का संचालन करने हेतु परमिट स्वीकृत किये हैं। उक्त परमिट एक निश्चित क्षेत्र के लिये जारी किये गये हैं। जो विशिष्ट रूप से पूर्व में ही सीमांकित है। अतः ऐसे परमिटों पर केन्द्र बिन्दु निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त प्रकार की वाहनें का संचालन सीमांकित अर्थात परमिट में अंकित जैसे देहरादून संभाग(पहाडी मार्गों को छोडकर/सहित) या देहरादून/पौडी संभाग (पहाडी मार्गों को छोडकर/सहित) में किया जा सकता है। जिससे इन वाहनों के परमिटों पर केन्द्र/आरम्भ बिन्दु अंकित किये जाने की विधिक बाध्यता नहीं है।

याचिकाकर्ता द्वारा 09 सीटर वाहन संख्या यूके07टीए 7954 को जारी किये गये परमिट संख्या मैक्सी 6240 की छायाप्रति संलग्न की है। प्रस्तुत छायाप्रति में बिन्दु संख्या 05 में मार्ग/क्षेत्र जिसके लिये परमिट वैध है, के समक्ष **देहरादून संभाग (पहाडी मार्गो को छोडकर) (देहरादून से)** अंकित किये जाने के सम्बन्ध में अवगत करना है कि **देहरादून से** अंकित करने का तात्पर्य यह है कि उक्त परमिट सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून द्वारा जारी किया गया है। इसका तात्पर्य कदाचित यह नही है कि उक्त परमिट के संचालन क्षेत्र का केन्द्र देहरादून है। ऐसा अंकित किया जाना आवश्यक है क्योकि उक्त प्रकार के परमिट संभागीय परिवहन प्राधिकरण पौडी द्वारा भी देहरादून/पौडी संभाग के लिये जारी किये जाते है।

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.01.2015 के अनुपालन में याचिकाकर्ता द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन का निस्तारण 04 सप्ताह में कर कृत कार्यवाही की सूचना से याचिकाकर्ता को अवगत कराया जाना है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त निर्णय पारित करना चॉहें।

मद सं0–07 <u>देहरादून संभाग तथा देहरादून एंव पौड़ी संभाग के मार्गों के लिये ठेका गाडी, मैक्सी, टैक्सी कैब एंव यूटिलिटी वाहनों के स्थाई परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेश।</u>

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 से पूर्व प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत सचिव द्वारा उक्त प्रकार के परमिट स्वीकृत किये जा रहे थे, परन्तु प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में उक्त प्रकार के परमिट स्वीकृत करने के प्रदत्त अधिकार प्राधिकरण द्वारा वापस ले लिये गये हैं।

प्राधिकरण की बैठक के सम्बन्ध में जारी कार्यालय की विज्ञप्ति दिनांक 05.11.2014 में अन्य मामलों के साथ–साथ स्थाई ठेका गाडी, मैक्सी कैब एंव टैक्सी कैब परमिट हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.11.2014 में विचार किये जाने की सूचना प्रकाशित की गई थी। इस सम्बन्ध में श्री विजयवर्धन डंडरियाल एंव श्री प्रशान्त डोभाल ने अपने संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 07.11.2014 के साथ मा0 उच्च न्यायालय, द्वारा याचिका सं0 2076/एमएस/14 व 2265/एमएस/14 में पारित आदेशों की छायाप्रति संलग्न कर उल्लेख किया था कि ठेका गाडी, टैक्सी व मैक्सी कैब के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी कर रखे हैं। ठेका गाडी परमिटों के प्रार्थना पत्रो पर विचार किया जाना मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना है। याचिका सं0 2076/एमएस/14 श्री प्रशान्त डोभाल तथा 2265/एमएस/14 श्री विजय वर्धन के द्वारा दायर की गयी थी।

प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 10.11.14 में श्री विजयवर्धन डंडरियाल एंव श्री प्रशान्त डोभाल के संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र के साथ संलग्न मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा याचिका सं0 2076/14 व 2265/14 में पारित आदेशों का अवलोकन कर विचारोपरान्त निर्णय लिया था कि मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेशों के सम्बन्ध में

शासकीय अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त कर मामले को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाय तथा तब तक ठेका गाडी परमिट हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार करना स्थगित किया जाता है।

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि श्री विजय वर्धन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में एक अवमानना याचिका सं0 322/14 भी दायर की गई है। जिसमें प्राधिकरण के अध्यक्ष, सचिव तथा सदस्यों को प्रतिपक्षी बनाया गया है। याचिका में प्रतिशपथ पत्र भी दाखिल किया जा चुका है। वर्तमान में यह याचिका मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री विजय वर्धन द्वारा दायर याचिका सं0 2265/एमएस/14 में मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 26.09.2014 को निम्न आदेश पारित किये थेः–

WPMS N0. 2265 of 2014
Date 26-09-2014

Mr. Jitendra Chaudhary, Advocate for the petitioner.
Mr. S.S. Chauhan, Deputy Advocate General for the State/respondents.
To be heard along with WPMS No. 2076 of 2014.
There shall be interim order in the same terms.
CLMA No. 11097 of 2014 stands disposed of accordingly.

याचिका सं0 2076/एमएस/14 में मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 11.09.1014 को निम्नलिखित आदेश पारित किये थेः–

Mr. Dinesh Chand Pathoi, Sectary Regional Transport Authority, Dehradun is present in person. He undertakes that till further orders of this court, no further Stage Carriage Permit shall be issued in favour of Maximo, Vikram Tempo and Tata Magic.

He shall file his own affidavit stating therein as to whether three wheelers can be issue Stage Carriage permit. He shall also indicate as to whether Maximo, Vikram Tempo and Tata Magic were issued registration certificate for carrying 6 or more passengers excluding driver.

On the request of Mr. R.C Arya learned Standing Council appearing for the respondent. Adjourned for three weeks.

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश दिनांक 19.11.14 द्वारा याचिका सं0 2076/एमएस/14 निस्तारित कर दी गई है। परन्तु याचिका सं0 2265/एमएस/14 अभी तक अनिस्तारित है। इस याचिका में याचिकाकर्ता श्री विजय वर्धन के द्वारा द्वारा निम्नवत प्रार्थना की गई हैः–

(A) "To issue a writ, order or direction in the nature of certiorari, calling for the original record and be pleased to quash the impugned advertisement dated 21.08.14 & 30th August 2014 (ANNEXURE-1) issued by the respondent no. 2 in relation to CLAUSE- 6,8, 9, 10, 11 & 12.

(B) To issue a writ, order or direction in the nature of mandamus directing and commanding the RTA to the effect they shall not grant permit of Contract carriages to the three wheelers and Tata Magic in future in violation of the provision contained under the Motor Vehicles Act 1988 & U.K. Motor Vehicles Rules 2011.

(C) To issue any other writ, order or direction which this Hon'ble High Court may deem fit and proper in the circumstances of present case."

(D) To award the cost of petition.

उक्त याचिका सं0 2265/एमएस/14 में कार्यालय की विज्ञप्ति दिनांक 21.08.14 तथा दिनांक 30.08.2014 जो दिनांक 10.09.2014 को प्राधिकरण की बैठक आहूत करने हेतु प्रकाशित की गई थी, में उल्लेखित क्रमॉक 6, 8, 9, 10, 11 तथा 12 के विरूद्ध दायर की गई थी। इस विज्ञप्ति में प्रकाशित बिन्दु निम्नवत हैः–

क्रमॉक 06– कौलागढ–विधान सभा तथा अनारवाला–थाना कैन्ट परेड ग्राउण्ड वाया आईएसबीटी–रिस्पना पुल मार्ग पर नगर बसों के परमिटों को हल्की वाहन के स्टैज कैरिज परमिटों में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

क्रमॉक 8– बिष्ट गॉव– आईएसबीटी मार्ग का विस्तार करने।

क्रमॉक 9–(क) अनारवाला–नयागॉव–हाथीबडकलॉ–परेड ग्राउण्ड–ईसी रोड– आईएसबीटी (ख) सॉई मन्दिर–कैनाल रोड– ग्रेट वैल्यू होटल–सचिवालय–ईसी रोड–रिस्पना–केदारपुरम–दून विश्वविद्यालय–मोथरोवाला मार्ग पर हल्की वाहनों के परमिट हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र।

क्रमॉक 10– (क) प्रेमनगर–ठाकुरपुर– महेन्द्र चौक होते हुये परवल–शिमला बाईपास मार्ग (ख) हरभजवाला–मेहूॅवाला–चोयला–तुन्तोवाला– चन्द्रबनी– गौतमकुण्ड–आईएसबीटी– परेड ग्राउण्ड मार्ग पर हल्की वाहनों के परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र।

क्रमॉक 11–प्रेमनगर–चौकी धौलास मार्ग पर हल्की वाहनों को परमिट जारी करने के सम्बन्ध में।

क्रमॉक 12– सैन्य कॉलोनी–कालीदास रोड से कारगी चौक–आईएसबीटी मार्ग का विस्तार आदर्श विहार, पथरी बाग, इन्द्रेश अस्पताल होते हुये घंटाघर करने तथा मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रो के सम्बन्ध मे।

उक्त याचिका में ठेका गाडी(बस), टैक्सी/मैक्सी वाहनों को परमिट जारी करने के विरूद्ध आपत्ति नहीं है।

वर्तमान में प्राथियों द्वारा चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुये टैक्सी तथा मैक्सी कैब तथा बसों के ठेका गाडी परमिट अति शीघ्र जारी करने की मॉग की जा रही है। परमिटो हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों के विवरण परिशिष्ट–क में है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

सचिव,
संभागीय परिवहन प्राधिकरण,
देहरादून।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 25.03.2015 के मद संख्या–7 का परिशिष्ट "क" के अन्तर्गत स्थाई ठेका गाडी, मैक्सी कैब, टैक्सी कैब एंव यूटिलिटी वाहनों के परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना–पत्र के विवरण

क्र० सं०	कोर्ट फीस रु0	प्रार्थनापत्र प्राप्ति की तिथि	प्रार्थी का नाम व पता	मार्ग/क्षेत्र यदि वाहन हो तो पंजीयन सं0
			ठेका गाडी के परमिट हेतु	
1.	1929	01.11.14	श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री सीता राम ग्राम गंगोली, लक्सर, हरिद्वार	देहरादून संभाग के मैदानी मार्ग यूपी 07 जी 3258
2.	1930	01.11.14	श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री सीता राम ग्राम गंगोली, लक्सर, हरिद्वार	देहरादून एंव पौडी रीजन यूए 07डी 6657
3.	1953	10.11.14	श्री विवेक कुमार पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद, मुस्लिम बस्ती विकासनगर, देहरादून।	देहरादून पौडी संभाग, पर्वतीय मार्गो को छोडकर, यूके 07पीए 1613
4.	1949	10.11.14	श्री अनिल अग्रवाल श्री प्रेमप्रकाश अग्रवाल, विद्या भवन मार्ग, विकासनगर, देहरादून।	देहरादून पौडी संभाग, यूके 07पीए 1750
5.	1950	10.11.14	श्रीमती सुषमा अग्रवाल पत्नी श्री अनिल अग्रवाल विद्या भवन विकासनगर, देहरादून	देहरादून पौडी संभाग, यूके 07पीए 0764
6.	1951	10.11.14	श्री प्रेम प्रकाश पुत्र श्री उग्रसेन अग्रवाल, विद्या भवन मार्ग, विकासनगर, देहरादून।	देहरादून पौडी संभाग, यूके 07पीए 0765
7.	1952	10.11.14	श्रीमती कामिनी टण्डन पत्नी श्री विवेक कुमार, मुस्लिम बस्ती, विकासनगर, देहरादून	देहरादून एंव पौडी संभाग के मैदानी मार्ग, यूके 07पीए 1609
8.	1974	10.11.14	श्रीमती सुनीता सिंह पत्नी श्री सन्तोष कुमार, यूनिवर्सल एकेडमी, क्लेमेन्टाउन, देहरादून	देहरादून संभाग के मैदानी मार्ग यूके 07पीए 2303
9.	1975	10.11.14	श्रीमती सुनीता सिंह पत्नी श्री सन्तोष कुमार, यूनिवर्सल एकेडमी, क्लेमेन्टाउन, देहरादून	देहरादून संभाग के मैदानी मार्ग यूके 07पीए 2316

10.	**1995**	**14.11.14**	श्री मंगल सिंह पुत्र श्री विशम्बर सिंह, ग्राम अमतल पुर, बहादराबाद, हरिद्वार।	देहरादून संभाग के मैदानी मार्ग यूके 08पीए 1086
11.	**1996**	**18.11.14**	श्री विमल सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह मार्फत कनक टूरिस्ट सर्विस हरिद्वार।	देहरादून एंव पौडी संभागयूए 08जी 9895
12.	**2024**	**19.12.14**	श्री सुदेश कण्डवाल पुत्र श्री आशा राम, 189सी, ऋषिकुल, ज्वालापुर, हरिद्वार।	देहरादून एंव पौडी सभाग
13.	**2025**	**19.12.14**	श्री ललिता पत्नी श्री शशीकान्त ननहेडा, अन्नतपुर, भगवानपुर, हरिद्वार।	देहरादून एंव पौडी सभाग पहाडी मार्गों को छोडकर यूपी 07एच 9790
14.	**07**	**13.01.15**	श्रीमती रनजीत कौर पत्नी श्री दलजीत सिंह श्रीराम नगर कॉलोनी, हरिद्वार।	देहरादून एंव पौडी संभाग
15.	**06**	**13.01.15**	श्री दलजीत सिंह पुत्र श्री मेजर सिंह श्रीरामनगर कॉलोनी, हरिद्वार	–तदैव–
16.	**05**	**13.01.15**	श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री मान सिंह, श्रीराम कॉलोनी ज्वालापुर, हरिद्वार	–तदैव–
17.	**21**	**19.01.15**	श्री संगीता पत्नी श्री प्रवीण कुमार, 44 सिविल लाइन रूडकी, हरिद्वार।	देहरादून संभाग पहाडी मार्गों का छोडकर
18.	**52**	**27.02.15**	श्री राम चन्द्र पुत्र श्री रूद्रीदत्त मोतीचूर, ऋषिकेश, देहरादून।	देहरादून एंव पौडी संभाग यूके 14 पीए 0018

मैक्सी कैब के परमिट हेतु

1.	**1931**	**01.11.14**	श्री संगत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, चॉदमारी, डोईवाला, देहरादून	देहरादून एंव पौडी संभाग यूए 07आर 8270
2.	**1933**	**05.12.14**	श्री विजय पाल पुत्र श्री सुन्दर सिंह, जडधार गॉव, नागडी, टिहरी गढवाल	देहरादून एंव पौडी संभाग यूए 09 5764
3.	**1934**	**05.12.14**	श्री एल्विन पुत्र श्री शैमियल बकरालवाला, देहरादून	देहरादून संभाग यूके 07टीए 8804 स्कूल वैन)
4.	**1948**	**10.12.14**	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री दिगम्बर सिंह, डाकरा बाजार, कैन्ट देहरादून	देहरादून संभाग, यूके07टीए 8807(स्कूल वैन)
5.	**1963**	**10.12.**	श्री जगदेव सिंह पुत्र श्री जयेन्द्र सिंह पट्यिों चन्द्रबनी, देहरादून	देहरादून एंव पौडी संभाग, यूके 07टीए 2132

		14		
6.	1965	10.12.14	श्री नरेश प्रसाद पुत्र श्री शर्मा नन्द, बयाडगॉव, टिहरी गढवाल।	देहरादून एंव पौडी संभाग, यूए 07के 9317
7.	1966	10.12.14	श्री विजय पाल पुत्र श्री गोविन्द सिंह, चम्बा, टिहरी गढवाल।	देहरादून एंव पौडी संभाग, यूके 07टीए 0098
8.	1968	10.11.14	श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भरत सिंह, गवाणा, कीर्तिनगर, टिहरी गढवाल	देहरादून तथा पौडी संभाग, यूए 07टी 4794
9.	1971	10.11.14	श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह, पटटी विधोली, देहरादून	देहरादून संभाग, यूके07टीए 8493(स्कूल वैन)
10.	1972	10.11.14	श्री भीम बहादुर गुरूंग पुत्र श्री नव बहादुर गुरूंग, 78 बरसाली, क्लेमेन्टाउन, देहरादून।	देहरादून संभाग, यूके07टीए 8471(स्कूल वैन)
11.	25	21.01.15	श्री अजय पाल पुत्र श्री हुक्म सिंह ग्राम चौल गॉव, बढकोट, टिहरी	देहरादून एंव पौडी संभाग
12.	26	21.01.15	श्री षष्टी दत्त पुत्र श्री हरि दत्त, तपोवन, टिहरी गढवाल	देहरादून एंव पौडी संभाग यूए 07आर 8219
13.	27	21.01.15	श्री प्रदीप सिंह पुत्र पदम सिंह ढालवाला, ऋषिकेश देहरादून	देहरादून एंव पौडी संभाग
14.	58	24.03.15	श्री रमेश सिंह पुत्र लुधार सिंह 64 गोदडी माय क्यार्की गोदडी, टिहरी गढवाल	–तदैव–

टैक्सी कैब के परमिट हेतु

1.	1935	05.11.14	श्री सुनीत पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह, 275 डाकरा बाजार गढ़ी कैन्ट, देहरादून	देहरादून संभाग, यूके07टीए 8803(स्कूल वैन)
2.	1958	10.11.	श्री सुधीर आन्नद पुत्र श्री विहारी लाल पार्क रोड, देहरादून।	देहरादून पौडी संभाग यूए 07एम 2747

		14		
3.	1960	10.11.14	श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री मंशा सिंह सहारनपुर रोड, देहरादून	देहरादून पौडी संभाग यूए 07एम 2734
4.	1961	10.11.14	श्री तेजेन्द्र सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह, पार्क रोड, देहरादून	देहरादून पौडी संभाग यूए 07एम 3303
5.	1978	10.11.14	श्रीमती नीतू रात्रा पत्नी श्री एच0एस0 रात्रा, 65/ए गुरू रोड, देहरादून	देहरादून संभाग पहाडी मार्गों को छोडकर, यूके 07टीए 8737
6.	2011	12.12.14	श्री कमल ठाकुर पुत्र श्री हरि राम ठाकुर, ग्राम व पो0– आराकोट, उत्तरकाशी	देहरादून एंव पौड़ी संभाग
7.	2022	19.12.14	श्री अमित राजपूत पुत्र श्री ओमप्रकाश, मानव भारती स्कूल, मसूरी, देहरादून।	देहरादून एंव पौडी संभाग यूए 07एम 4741
8.	2023	19.12.14	श्री प्रमोद लाल पुत्र श्री भरत लाल, लाईबरी मसूरी, देहरादून।	देहरादून एंव पौडी संभाग यूए 07एन 8610
9.	2030	31.12.14	श्री हरदयाल सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह बिष्ट, राजीव नगर कॉलोनी, हरिद्वार।	देहरादून एंव पौडी संभाग यूए 07जे 4711
10.	1	07.01.15	श्री सोहन सिंह पुत्र श्री जमन सिंह पंवार 33 एमडीडीए केदारपुरम, देहरादून	देहरादून एंव पौडी संभाग यूए 07एम 7679
11.	17	15.01.15	श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री श्री राजपाल सिंह अधोईवाला, रायपुर रोड, देहरादून।	देहरादून एंव पौडी संभाग यूए 07एम 4740
12.	19	17.01.15	श्री रोहित कुमार पुत्र श्री भगवत प्रसाद, गुजराडा, देहरादून	देहरादून एंव पौडी संभाग यूए 07एम 3082

यूटिलिटी वाहन के परमिट हेतु

1.	1932	01.11.14	श्री कान्ती राम पुत्र श्री धनी राम ग्राम व पो0ओ0 खाडू तल्ला, घनसाली, टिहरी गढवाल।	देहरादून तथा पौडी संभाग

2.	**1937**	**05.11.14**	श्री माधोराम पुत्र श्री राजीनन्द कोट गॉव, सांकरी, उत्तरकाशी।	देहरादून तथा पौडी संभाग
3.	**1938**	**05.11.14**	श्री राकेश सिंह पुत्र श्री मदन सिंह, 206 नेहरू कॉलोनी, देहरादून।	देहरादून तथा पौडी संभाग
4.	**1945**	**05.11.14**	श्री उदय सिंह राणा पुत्र श्री स्व0 गौर सिंह राणा, ग्राम चौरा पो0 माल्याकोट टिहरी गढवाल।	देहरादून तथा पौडी संभाग
5.	**1976**	**10.11.14**	श्री रमेश पुत्र श्री शीतल, साहिया, कालसी, देहरादून	देहरादून तथा पौडी संभाग
6.	**1977**	**10.11.14**	श्री वरूण जैन पुत्र श्री आर0सी0 जैन, ढाकपटटी गॉव, राजपुर, देहरादून	देहरादून तथा पौडी संभाग,
7.	**1973**	**10.11.14**	श्री दिगपाल पुत्र श्री चत्तर सिंह, 8 भूत त्यूणी, देहरादून	देहरादून तथा पौडी संभाग।
8.	**2008**	**03.12.14**	श्री जयराज पुत्र श्री प्रेम सिंह, सी–3, 27/1, न्यू टिहरी, टिहरी।	देहरादून तथा पौडी संभाग।
9.	**23**	**20.01.15**	श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री विजय सिंह, ग्राम गासकी पो0ओ0 लोहारी कालसी	देहरादून तथा पौडी संभाग।
10.	**45**	**28.01.15**	श्री केसर सिंह पुत्र श्री पदम सिंह 57 ढुंग, अखौडी, टिहरी गढवाल।	देहरादून तथा पौडी संभाग।
11.	**48**	**13.02.15**	मै0 हिन्दुस्तान कन्स्ट्रशन कम्पनी लि0, नई टिहरी	देहरादून तथा पौडी संभाग।

सचिव,
संभागीय परिवहन प्राधिकरण,
देहरादून।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 25.03.2015 की कार्यवाही।

उपस्थित :–

1.	श्री सी0 एस0 नपलच्याल आई0ए0एस0 आयुक्त, गढ़वाल मंडल।	अध्यक्ष
2.	श्री रमेश बुटोला, 144/11, नेशविला रोड़ देहरादून।	सदस्य
3.	श्री अरविन्द शर्मा, 345 विवेक विहार हरिद्वार।	सदस्य
4.	श्री दिनेश चन्द्र पठोई संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून।	पदेन सचिव

संकल्प सं–1 सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 21–01–15 की कार्यवाही की पुष्टि की जाती है।

संकल्प सं0 –2 सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा परिचालन पद्धति से पारित आदेशों का अनुमोदन किया जाता है।

संकल्प सं0 –3 इस मद के अन्तर्गत प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में ऋषिकेश, हरिद्वार एंव रूडकी केन्द्रो से स्वीकृत ऑटो रिक्शा के (3+1, 4+1 व 5+1 सीटर) परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में आदेश पारित किये थे कि ऋषिकेश, हरिद्वार एंव रूडकी केन्द्र (3+1, 4+1 व 5+1 सीटर) वाहनो के ऑटो रिक्शा परमिट कुछ शर्तों के साथ स्वीकृत किये गये थे तथा यह भी निर्णय लिया गया था कि नई ऑटो रिक्शा के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 30.11.2014 तक जारी किये जायेंगे, तत्पश्चात् स्वीकृति स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी। परन्तु प्राधिकरण द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के विरूद्ध कुछ आपत्तियॉ/ प्रत्योवदन प्राप्त हुये थे। प्राप्त आपत्तियॉ/ प्रत्योवदन पर प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.11.14 में विचारोपरान्त निर्णय लिया कि ***सम्बन्धित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एंव क्षेत्राधिकारी (पुलिस) की संयुक्त कमेटी गठित की जाती है। जो निम्नलिखित बिन्दुओ पर प्राधिकरण को अपनी आख्या उपलब्ध करायेगीः–***

1. *ऋषिकेश/ हरिद्वार केन्द्र हेतु ऑटो रिक्शा के परमिटों हेतु प्राप्त आवेदनों की जॉच कर ऐसे आवेदकों की सूची जो विगत 03 वर्षो में ऑटो रिक्शा/विक्रम टैम्पो के परमिट धारक रहे हो।*
2. *सम्बन्धित क्षेत्र में ऑटो रिक्शा वाहनों हेतु ऐसे कम दूरी के मार्गों का सर्वे कर प्रस्ताव, जहॉ विस्थापन एंव विकास गतिविधियों के कारण नयी कॉलोनियों का निर्माण हुआ हो तथा परिवहन की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नही हो पा रही हो। प्रस्तावित मार्ग सामान्यतयाः 5 से 15 किमी0 की दूरी के होगें। विशेष परिस्थितियों में कारण का उल्लेख करते हुये उक्त सीमा का अतिक्रमण किया जा सकता है।*
3. *परमिट की कालाबाजारी पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु परमिट अन्तरण पर रोक लगाने के सम्बन्ध में आख्या। इसके लिये स्थानीय चालकों, परमिट धारकों, परिवहन संगठनो, जनप्रतिनिधियों एंव स्थानीय जनता से सुझाव प्राप्त किये जा सकते हैं।*
4. *सम्बन्धित क्षेत्र की पार्किंग सुविधा एंव यातायात के दवाब के दृष्टिगत वर्तमान में संचालित ऑटो वाहन के अतिरिक्त कितने ऑटो वाहनों को परमिट जारी किये जा सकते है?*

संयुक्त कमेटी के द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर आख्या सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून को प्रेषित की जायेगी। जिसे प्राधिकरण के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा तथा तब तक ऋषिकेश एंव हरिद्वार केन्द्र के परमिट एंव स्वीकृति पत्र जारी नहीं किये जायेगें।

समिति की आख्या प्राप्त हो जाने के पश्चात प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21.01.2015 में यह निर्णय लिया गया था कि ऋषिकेश केन्द्र के जिन 40 प्रार्थियों के द्वारा अपनी वाहनों का पंजीयन करा दिया गया है। उनको ऋषिकेश केन्द्र से पहाडी मार्गों को छोडकर 25 किमी0 अर्द्वब्यास के परमिट जारी कर दिये जायें तथा जिन प्रार्थियों को स्वीकृत पत्र जारी किये गये हैं परन्तु उनके द्वारा वाहन का पंजीयन नहीं कराया गया है उनको परमिट जारी करने के सम्बन्ध संयुक्त समिति द्वारा ऋषिकेश क्षेत्र के सुझाये गये उक्त 11 मार्गों में से सभी मार्गों अथवा 04 या 05 मार्गों को जोडकर एक क्लस्टर बनाकर परमिट देने की सम्बन्ध में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश से आख्या प्राप्त कर बैठक में प्रस्तुत की जाये। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश उक्त सुझाये गये 11 मार्गों में से लाभदायक, कम लाभदायक मार्गों में वर्गीकरण कर 3–4 मार्गो का क्लस्टर बनाकर (प्रत्येक मार्ग में आवश्यक परमिटों की संख्या सहित) संस्तुति करेंगे, जिससे वाहन स्वामियों को प्रर्याप्त आजीविका एंव सम्बन्धित मार्ग के आसपास की जनसंख्या को प्रर्याप्त परिवहन सुविधा मिल सके। प्राप्त आख्या विचार हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

हरिद्वार केन्द्र से ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया था कि सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन), देहरादून, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), हरिद्वार एंव सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, रूडकी की एक कमेटी गठित करते हुये निर्देश दिये जाते हैं कि वे हरिद्वार शहर मे आने वाले मार्गों का सर्वेक्षण कर ऐसे मार्गो की सूची प्रेषित करें जिनमें ऑटो रिक्शा वाहन संचालित किये जा सकें। हरिद्वार में काफी ओद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहा है। यदि हरिद्वार के अतिरिक्त अन्य केन्द्र ऑटो रिक्शा संचालन हेतु निर्मित किया जा सकता है तो इस सम्बन्ध में भी आख्या उपलब्ध करायें। पूर्व संयुक्त समिति की उक्त आख्या में सुझाये गये 06 मार्गों के साथ नये सुझाये जाने वाले मार्गों पर मार्गवार कितने–कितने परमिट स्वीकृत किया जाना उचित होगा की आख्या प्राप्त कर प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाये।

गठित समिति के द्वारा आख्या प्रेषित की गई। जिसे प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण ने आख्या पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि जनपद हरिद्वार हेतु समिति के द्वारा सुझाये गये निम्नलिखित मार्गों का क्लस्टर (मार्गों का समूह) बनाया जाता है।

क्र0सं0	क्लस्टर	क्लस्टर के सहबद्ध मार्ग
1.	हरिद्वार	3. श्यामपुर– कांगडी–चण्डी देवी–काली मन्दिर–चीला वन विभाग गेट तक।
		4. रानीपुर मोड से बीएचईएल मार्ग–शिवालिक नगर चौराहा–सिडकुल– रोशनाबाद।
2.	लक्सर	3. खानपुर–सुल्तानपुर– ब्रहमपुर उ0प्र0 की सीमा तक।
		4. लक्सर से ब्रहमपुर– बहादराबाद– रानीपुर तहसील–पुल जटवाडा मार्ग
3.	रूड़की	4. बुग्गावाला–बिहारीगढ मार्ग (उ0प्र0 की सीमा तक)
		5. झबरेडा–चूडियाला–भगवानपुर–गागलहेड़ी (उ0प्र0 की सीमा तक)
		6. मंगलौर–लखनौता तिराहा (उ0प्र0 की सीमा तक ग्लास फैक्ट्री तक)।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में लिये गये निर्णय के अनुसार जिन प्रार्थियों ने स्वीकृत पत्र प्राप्त कर दिनांक 30.11.14 तक अपनी वाहनें पंजीकृत करा ली हैं, उन प्राथियों को पूर्व में निर्धारित की गई शर्तों के साथ आवेदन करने पर उपरोक्त में किसी एक क्लस्टर(मार्ग समूह) का परमिट स्वीकृत किया जाता है। चूकिः रूडकी केन्द्र से परमिट प्राप्त करने वाले आवेदकों द्वारा भगवानपुर क्षेत्र में वाहन का संचालन किया जाना प्रस्तावित है, जबकि भगवानपुर विधान सभा उप निर्वाचन के कारण क्षेत्र में आर्दश आचार संहिता प्रभावी है। अतः रूडकी केन्द्र के ऑटो परमिट के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय निर्वाचन आयोग से सहमति/अनापत्ति प्राप्त कर सार्वजनिक किया जायेगा।

उक्त ऑटो रिक्शा वाहनों को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में संकल्प सं0 6 में निर्धारित प्रशमन शुल्क से मुक्त किया जाता है।

संकल्प सं0–04

इस मद के अन्तर्गत देहरादून रायपुर–रायपुर–मालदेवता मार्ग पर चालक को छोडकर 06 से अधिक सवारी ढोने वाली चार पहिया हल्की वाहनों को स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में प्राप्त श्री विजय पुण्डीर एंव अन्य के प्रत्यावेदन दिनांक 03.03.15 को प्रस्तुत किया गया है। श्री पुण्डीर ने अपने प्रत्यावेदन में उल्लेख किया है कि वर्ष 2011 से उनकी वाहनों को देहरादून–रायपुर–मालदेवता मार्ग पर अस्थाई मंजिली गाडी परमिट जारी किये जा रहे थे। परन्तु प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उनको अस्थाई परमिट जारी नहीं किये जा रहे है। उन्होंने मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल मे याचिका सं0 2319/14 दायर की थी। उक्त याचिका में मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 02.12.2014 को आदेश पारित किये थे कि उनकी अस्थाई परमिट के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण 60 दिन में किया जाये। अपने प्रत्यावेदन में उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि उनकी वाहनों को संचालन बन्द है। जिससे उनको आर्थिक हानि हो रही है। उन्होंने निवेदन किया है कि उनकी वाहनों को अस्थाई/स्थाई परमिट जारी करने का निवेदन किया है।

उक्त मामले पर प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21.01.2015 में प्राधिकरण ने उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर गम्भीरता से विचार कर निर्णय लिया कि टैम्पो थ्री व्हीलर, मैक्सिमों, टाटा मैजिक वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट जारी करने के सम्बन्ध में एक समिति गठित की जाती है। जिसमें संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून अध्यक्ष तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन), देहरादून एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) देहरादून सस्दय होगें। समिति द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एंव मोटर गाडी अधिनियम एंव नियमावली में दिये गये प्राविधानों के अनुसार उपरोक्त प्रकार के वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट जारी के सन्दर्भ में अपनी आख्या/मन्तब्य प्रस्तुत किया जायेगा। समिति की आख्या को प्राधिकरण के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। प्राधिकरण के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में गठित समिति ने आख्या प्रस्तुत की है। जिसका निष्कर्ष निम्नवत हैः–

"समिति मोटरगाडी अधिनियम 1988 की धारा 2(28), (40) एंव धारा 72 एंव उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली के नियम 67 दिये गये प्राविधानों का अध्ययन करने के पश्चात सर्व सम्मति इस निर्णय पर पहुॅची की छः से अधिक यात्रियों को ढोने वाली वाहनें मजिली गाडी श्रेणी में आती हैं। टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमों वाहनें जो छः से अधिक सवारियॉ ढोने के लिये निर्मित हैं, उनको स्टैज कैरिज परमिट जारी किया जा सकता है। इसी प्रकार जो विक्रम टैम्पो वाहनें जिनमें बैठने की क्षमता चालक को छोडकर छः से अधिक हो तथा उसके इंजन की क्षमता 25 घनमीटर से अधिक है ऐसी वाहनें मोटरयान की श्रेणी में आते हैं एंव इन वाहनों को स्टैज कैरिज का परमिट दिया जा सकता है। उपरोक्त रिट याचिकाओं मे उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली के नियम 136, 137, 138, 140, 153, 155, 157 व 160 के आधार पर टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमों एंव थ्री व्हीलर टैम्पो वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट दिये जाने पर आपत्ति ब्यक्त की गई है, जिसका संज्ञान समिति द्वारा लिया गया। समिति सर्व सम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुॅची है कि पंजीयन अधिकारी द्वारा चालक को छोड़कर छः से अधिक सवारियों को वहन करने वाले प्रत्येक टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमो तथा विक्रम थ्री व्हीलर प्रकार की वाहनों हेतु उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 136, 137, 138, 140, 153, 155, 157 व 160 पालन किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जारी किये जाने पर मंजिली गाडी परमिट जारी करने की कार्यवाही की जा सकती है।"

प्राधिकरण ने समिति की आख्या एंव शासकीय अधिवक्ता की विधिक राय दिनांक 18.12.2014 पर विचार किया। शासकीय अधिवक्ता ने अपनी विधिक राय में उल्लेख किया है कि जो टैम्पो थ्री व्हीलर, मैक्सिमों, टाटा मैजिक अधिनियम तथा अधिनियम के अधीन स्टैज कैरिज की परिभाषा/शर्तों को पूरी करते हों उनके पक्ष में स्टैज कैरिज परमिट जारी किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है। उक्त राय से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमो तथा विक्रम थ्री व्हीलर वाहन जो चालक को छोडकर छः से अधिक सवारी ढोने वाली वाहनों को लिये निर्मित है, स्टैज कैरिज की परिभाषा/शर्तों को पूर्ण करते हैं या नहीं।

प्राधिकरण मामले पर गम्भीरता से विचार कर इस निष्कर्ष पर पहुॅची कि शासकीय अधिवक्ता से टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमों तथा थ्री व्हीलर विक्रम टैम्पो वाहनें जो चालक को छोडकर 06 से अधिक सवारी ढोने के

लिये निर्मित एंव अधिकृत है को मंजिली गाड़ी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में पुनः उपरोक्त बिन्दु पर स्पष्ट विधिक राय प्राप्त कर मामले को प्राधिकरण के आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

संकल्प सं0–05 इस मद के अन्तर्गत श्री सतीश कुमार शाह द्वारा दायर 121/एमएस/15 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.01.15 के अनुपालन में याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन दिनांक 30.12.14 पर विचार किया गया।

श्री सतीश कुमार शाह ने उल्लेख किया है कि वे वाहन संख्या यूके07टीए 4736 के स्वामी है। उक्त वाहन में चालक को छोडकर 7 सवारी ढोने की क्षमता है तथा वे वर्ष 2011 से अपनी वाहन देहरादून शहर मे संचालित कर रहे हैं। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा श्री प्रशांत डोभाल की याचिका संख्या 2076/14 मे पारित आदेश दिनांक 19.11.2014 के अनुसार तथा मोटरगाडी अधिनियम 1988 की धारा–2(40) के अनुसार उनकी वाहन को स्टैज कैरिज परमिट दिया जा सकता है। उन्होंने निवेदन किया है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशो के अनुसार उनकी वाहन के लिये स्टैज कैरिज परमिट स्वीकृत किया जाये।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में मद संख्या 36 के अन्तर्गत विक्रम टैम्पो वाहनो का संचालन स्टैज कैरिज के रूप में करने तथा इन वाहनो के संचालन हेतु मार्ग निर्मित करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेश से प्रस्तुत किया गया था। परन्तु प्राधिकरण ने मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल मे याचिका संख्या 2076/एमएस/14 विचाराधीन होने के कारण मामले पर विचार करना स्थगित कर दिया था।

याचिकाकर्ता द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन में अपने विक्रम वाहन को मंजिली गाडी परमिट स्वीकृत करने की मॉग की गई है। मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल ने उक्त तीनो याचिकाओं 2076/एमएस/11, 2119/एमएस/2011 एंव 2127/14 में विधि के समान प्रश्न होने के कारण अपने एक आदेश दिनांक 19.11.14 के द्वारा निस्तारण करते हुये उल्लेख किया है कि प्राधिकरण द्वारा मोटर गाडी अधिनियम, 1988 एंव उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 में

दिये गये प्राविधानों का संज्ञान लेते हुये टैम्पो थ्री व्हीलर, मैक्सिमों, टाटा मैजिक वाहनों को मंजिली गाडी परमिट जारी करने पर विचार किया जायेगा। मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 21.01.2015 में अधिनियम एंव नियमावली में दिये गये प्राविधानों का अध्ययन कर अपनी आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु 03 सदस्यीय कमेठी का गठन किया गया था। प्राधिकरण के आदेशों के अनुपालन में समिति ने अपनी आख्या प्रस्तुत कर दी है। आख्या की प्रति संलग्नक–1 है। समिति प्रस्तुत की गई आख्या का निष्कर्ष निम्नवत हैः–

"समिति मोटरगाडी अधिनियम 1988 की धारा 2(28), (40) एंव धारा 72 एंव उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली के नियम 67 दिये गये प्राविधानों का अध्ययन करने के पश्चात सर्व सम्मति इस निर्णय पर पहुॅची की छः से अधिक यात्रियों को ढोने वाली वाहनें मजिली गाडी श्रेणी में आती हैं। टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमों वाहनें जो छः से अधिक सवारियॉ ढोने के लिये निर्मित हैं, उनको स्टैज कैरिज परमिट जारी किया जा सकता है। इसी प्रकार जो विक्रम टैम्पो वाहनें जिनमें बैठने की क्षमता चालक को छोडकर छः से अधिक हो तथा उसके इंजन की क्षमता 25 घनमीटर से अधिक है ऐसी वाहनें मोटरयान की श्रेणी में आते हैं एंव इन वाहनों को स्टैज कैरिज का परमिट दिया जा सकता है। उपरोक्त रिट याचिकाओं मे उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली के नियम 136, 137, 138, 140, 153, 155, 157 व 160 के आधार पर टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमों एंव थ्री व्हीलर टैम्पो वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट दिये जाने पर आपत्ति ब्यक्त की गई है, जिसका संज्ञान समिति द्वारा लिया गया। समिति सर्व सम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुॅची है कि पंजीयन अधिकारी द्वारा चालक को छोड़कर छः से अधिक सवारियों को वहन करने वाले प्रत्येक टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमो तथा विक्रम थ्री व्हीलर प्रकार की वाहनों हेतु उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 136, 137, 138, 140, 153, 155, 157 व 160 पालन किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जारी किये जाने पर मंजिली गाडी परमिट जारी करने की कार्यवाही की जा सकती है।"

प्राधिकरण ने समिति की आख्या एंव शासकीय अधिवक्ता की विधिक राय दिनांक 18.12.2014 पर विचार किया। शासकीय अधिवक्ता ने अपनी विधिक राय में उल्लेख किया है कि जो टैम्पो थ्री व्हीलर, मैक्सिमों, टाटा मैजिक

अधिनियम तथा अधिनियम के अधीन स्टैज कैरिज की परिभाषा/शर्तों को पूरी करते हों उनके पक्ष में स्टैज कैरिज परमिट जारी किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है। उक्त राय से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमो तथा विक्रम थ्री व्हीलर वाहन जो चालक को छोडकर छः से अधिक सवारी ढोने वाली वाहनों को लिये निर्मित है, स्टैज कैरिज की परिभाषा/शर्तों को पूर्ण करते हैं या नहीं।

प्राधिकरण मामले पर गम्भीरता से विचार कर इस निष्कर्ष पर पहुॅची कि शासकीय अधिवक्ता से टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमों तथा थ्री व्हीलर विक्रम टैम्पो वाहनें जो चालक को छोडकर 06 से अधिक सवारी ढोने के लिये निर्मित एंव अधिकृत है को मंजिली गाड़ी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में पुनः उपरोक्त बिन्दु पर स्पष्ट विधिक राय प्राप्त कर मामले को प्राधिकरण के आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया कि याचिकाकर्ता श्री सतीश कुमार शाह ने मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 70 में मंजिली गाडी परमिट प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत आवेदन नहीं किया है। जिससे उनके प्रत्यावेदन पर विचार किया जाना संभव नहीं है।

संकल्प सं0–06

इस मद के अन्तर्गत विकास नगर विक्रम जन कल्याण समिति की याचिका सं0 1516/एमएस/14 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.01.15 के अनुपालन में याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन दिनांक 11.02.15 पर विचार किया गया।

विक्रम जनकल्याण सेवा समिति, देहरादून ने दिनांक 11.02.14 के प्रत्यावेदन के द्वारा अवगत कराया था कि उनके विक्रम टैम्पो वाहनें विकासनगर केन्द्र से 25 किमी0 अर्द्धव्यास हेतु जारी ठेका गाडी परमिट पर संचालित हो रहे हैं। आरटीए द्वारा विक्रमों को ठेका गाडी परमिट जारी करते हुये क्षेत्र/प्रारम्भ बिन्दु स्पष्ट रूप से अंकित किया है। परन्तु मैक्सिमों मिनी वाहनों को ठेका गाडी जारी करते समय प्रारम्भिक बिन्दु अंकित नहीं किया गया है।

प्रारम्भिक बिन्दु अंकित किये जाने के स्थान पर प्राधिकरण ने प्रारम्भिक बिन्दु **"देहरादून"** अंकित किया है, जो स्पष्ट नहीं है। मिनी वाहनों के ठेका गाडी परमिटों पर प्रारम्भिक बिन्दु अंकित न होने के कारण विक्रम टैम्पो वाहनों को समस्या का सामना करना पड रहा है। समय–समय पर मिनी वाहन संचालकों द्वारा विक्रम संचालकों के क्षेत्र में संचालन से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। समिति द्वारा उक्त कारणों से मिनी वाहन संचालकों के परमिट पर क्षेत्र/रूट स्पष्ट अंकित किये जाने की मॉग की गई है।

उपरोक्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही की मॉग करते हुये विक्रम जन कल्याण समिति के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका 1516/एमएस/14 दायर की गई है। मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल ने दिनांक 09.01.2015 को याचिका का निस्तारण करते हुये आदेश पारित किये हैंः–

"Mr. A.K. Joshi, Addl. C.S.C. for the State submitted that an appropriate decision on Annexure no. 3 to the writ petition shall be taken by the respondent no. 4 in accordance with law preferably within four weeks from today and decision so taken shall be communicated to the petitioner.

Without expressing any opinion on the merit of the case and entitlement of the petitioner, present petition, thus stands disposed of in the light of statement made by Mr. A.K. Joshi, learned Addl. C.S.C

प्राधिकरण ने मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा– 74 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत विक्रम टैम्पो वाहनों को छोटी दूरी अर्थात सीमित क्षेत्र 25/40 किमी0 अर्द्धव्यास परिधि के ठेका गाडी के रूप में संचालित किये जाने हेतु परमिट स्वीकृत किये हैं। जिससे उक्त वाहनों का संचालन परमिट में दी गई परिधि के अन्तर्गत ही किया जाना है। अतः यह सुनिश्चित करने हेतु कि उक्त वाहनें अपनी परिधि के अन्तर्गत संचालित हो, प्राधिकरण के द्वारा इन वाहनों के केन्द्र बिन्दु तय किये हैं।

परन्तु 07/08 सीटर, चार पहिया छोटी या उससे अधिक सीटिंग क्षमता वाली वाहनों को देहरादून संभाग (पहाड़ी मार्गो सहित/छोडकर), देहरादून एंव पौड़ी संभाग के लिये ठेका गाडी के रूप में वाहनों का संचालन करने हेतु परमिट स्वीकृत किये हैं। उक्त परमिट एक निश्चित क्षेत्र के लिये जारी किये गये हैं। जो पूर्व में ही सीमांकित

है। अतः ऐसे परमिटों पर केन्द्र बिन्दु निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त प्रकार की वाहनें का संचालन सीमांकित अर्थात परमिट में अंकित जैसे देहरादून संभाग(पहाडी मार्गों को छोडकर/सहित) या देहरादून/पौडी संभाग (पहाडी मार्गों को छोडकर/सहित) में किया जा सकता है। जिससे इन वाहनों के परमिटों पर केन्द्र/आरम्भ बिन्दु अंकित किये जाने की विधिक बाध्यता नहीं है। परमिट संख्या मैक्सी 6240 की छायाप्रति के बिन्दु संख्या 05 में मार्ग/क्षेत्र जिसके लिये परमिट वैध है, के समक्ष **देहरादून संभाग (पहाडी मार्गो को छोडकर) (देहरादून से)** अंकित करने का तात्पर्य यह है कि उक्त परमिट देहरादून संभाग (पहाडी मार्गो को छोडकर) के लिये वैध है एंव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून द्वारा जारी किया गया है। इसका तात्पर्य कदाचित यह नही है कि उक्त परमिट के संचालन क्षेत्र का केन्द्र देहरादून है। ऐसा अंकित किया जाना इसलिये आवश्यक है कि उक्त प्रकार के परमिट संभागीय परिवहन प्राधिकरण पौडी द्वारा भी देहरादून/पौडी संभाग के लिये जारी किये जाते है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उपरोक्तानुसार प्रार्थी को अवगत करा दिया जाये।

संकल्प सं0–07

इस मद के अन्तर्गत देहरादून संभाग तथा देहरादून एंव पौड़ी संभाग के मार्गों के लिये ठेका गाडी, मैक्सी, टैक्सी कैब एंव यूटिलिटी वाहनों के स्थाई परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार किया गया।

प्राधिकरण की बैठक के सम्बन्ध में जारी कार्यालय की विज्ञप्ति दिनांक 05.11.2014 में अन्य मामलों के साथ–साथ स्थाई ठेका गाडी, मैक्सी कैब एंव टैक्सी कैब परमिट हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.11.2014 में विचार किये जाने की सूचना प्रकाशित की गई थी। इस सम्बन्ध में श्री विजयवर्धन डंडरियाल एंव श्री प्रशान्त डोभाल ने अपने संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 07.11.2014 के साथ मा0 उच्च न्यायालय, द्वारा

याचिका सं0 2076/एमएस/14 व 2265/एमएस/14 में पारित आदेशों की छायाप्रति संलग्न कर उल्लेख किया था कि ठेका गाडी, टैक्सी व मैक्सी कैब के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी कर रखे हैं। प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 10.11.14 में श्री विजयवर्धन डंडरियाल एंव श्री प्रशान्त डोभाल के संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र के साथ संलग्न मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा याचिका सं0 2076/14 व 2265/14 में पारित आदेशों का अवलोकन कर विचारोपरान्त निर्णय लिया था कि मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेशों के सम्बन्ध में शासकीय अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त कर मामले को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाय तथा तब तक ठेका गाडी परमिट हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार करना स्थगित किया जाता है।

श्री विजय वर्धन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में एक अवमानना याचिका सं0 322/14 भी दायर की गई है। जिसमें प्राधिकरण के अध्यक्ष, सचिव तथा सदस्यों को प्रतिपक्षी बनाया गया है। याचिका में प्रतिशपथ पत्र भी दाखिल किया जा चुका है। वर्तमान में यह याचिका मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल ने दिनांक 19.11.14 को याचिका सं0 2076/एमएस/14 निस्तारण कर दिया है। याचिका सं0 2265/एमएस/14 अभी तक अनिस्तारित है। जिसमें मा0 उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 26.09.2014 को निम्नलिखित अन्तरिम आदेश पारित किये हैंः–

To be heard along with WPMS No. 2076 of 2014.
There shall be interim order in the same terms.
CLMA No. 11097 of 2014 stands disposed of accordingly.

याचिकाकर्ता के द्वारा याचिका सं0 2265/एमएस/14 में निम्नवत प्रार्थना की गई हैः–

(A) "To issue a writ, order or direction in the nature of certiorari, calling for the original record and be pleased to quash the impugned advertisement dated 21.08.14 & 30th August 2014 (ANNEXURE-1) issued by the respondent no. 2 in relation to CLAUSE- 6,8, 9, 10, 11 & 12.

(B) To issue a writ, order or direction in the nature of mandamus directing and commanding the RTA to the effect they shall not grant permit of Contract carriages to the three wheelers and Tata Magic in future in violation of the provision contained under the Motor Vehicles Act 1988 & U.K. Motor Vehicles Rules 2011.

(C) To issue any other writ, order or direction which this Hon'ble High Court may deem fit and proper in the circumstances of present case."

(D) To award the cost of petition.

उक्त याचिका सं0 2265/एमएस/14 में कार्यालय की विज्ञप्ति दिनांक 21.08.14 तथा दिनांक 30.08.2014 जो दिनांक 10.09.2014 को प्राधिकरण की बैठक आहूत करने हेतु प्रकाशित की गई थी, में उल्लेखित क्रमॉक 6, 8, 9, 10, 11 तथा 12 के विरूद्ध दायर की गई थी। इस विज्ञप्ति में प्रकाशित बिन्दु निम्नवत हैः–

क्रमॉक 06– कौलागढ–विधान सभा तथा अनारवाला–थाना कैन्ट परेड ग्राउण्ड वाया आईएसबीटी–रिस्पना पुल मार्ग पर नगर बसों के परमिटों को हल्की वाहन के स्टैज कैरिज परमिटों में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

क्रमॉक 8– बिष्ट गॉव– आईएसबीटी मार्ग का विस्तार करने।

क्रमॉक 9–(क) अनारवाला–नयागॉव–हाथीबडकलॉ–परेड ग्राउण्ड–ईसी रोड– आईएसबीटी (ख) सॉई मन्दिर–कैनाल रोड– ग्रेट वैल्यू होटल–सचिवालय–ईसी रोड–रिस्पना–केदारपुरम–दून विश्वविद्यालय–मोथरोवाला मार्ग पर हल्की वाहनों के परमिट हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र।

क्रमॉक 10–(क) प्रेमनगर–ठाकुरपुर– महेन्द्र चौक होते हुये परवल–शिमला बाईपास मार्ग
(ख) हरभजवाला–मेहूॅवाला–चोयला–तुन्तोवाला– चन्द्रबनी– गौतमकुण्ड–आईएसबीटी– परेड ग्राउण्ड मार्ग पर हल्की वाहनों के परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र।

क्रमॉक 11–प्रेमनगर–चौकी धौलास मार्ग पर हल्की वाहनों को परमिट जारी करने के सम्बन्ध में।

क्रमॉक 12– सैन्य कॉलोनी–कालीदास रोड से कारगी चौक–आईएसबीटी मार्ग का विस्तार आदर्श विहार, पथरी बाग, इन्द्रेश अस्पताल होते हुये घंटाघर करने तथा मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रो के सम्बन्ध मे।

याचिकाकर्ता के द्वारा उक्त याचिका में की गई प्रार्थना एंव उक्त बिन्दुओं में थ्री व्हीलर व्रिकम टैम्पो, टाटा मैजिक एंव महेन्द्रा मैक्सिमो वाहनों को ठेका गाडी परमिट जारी करने पर आपत्ति की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत वाहनों से इतर उक्त बिन्दुओ में वर्णित मार्ग/क्षेत्र से भिन्न मार्गो/क्षेत्रों में ठेका गाडी परमिट जारी करने पर कोई आपत्ति/स्थगन नहीं हैं।

अतः परिशिष्ट–क में अंकित ठेका वाहनों के परमिट हेतु प्राप्त ऐसे आवेदनों जो उपरोक्त श्रेणी के वाहनों एंव मार्गो से इतर अन्य वाहनों एंव मार्गों/क्षेत्रों के लिये किये गये हैं को स्थाई ठेका गाडी परमिट पूर्व निर्धारित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है।

चारधाम यात्रा–2015 एंव आगामी अर्द्धकुम्भ के दृष्टिगत स्थाई ठेका वाहन परमिटों को स्वीकृत एंव जारी करने की शक्ति उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली– 2011 के नियम 58 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण को प्रत्यायोजित की जाती है।

रमेश बुटोला,

सदस्य

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून।

अरविन्द शर्मा,

सदस्य

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून।

कार्यवृत्त तैयारकर्ता–
दिनेश चन्द पठोई, पदेन सचिव,
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून।

सी0 एस0 नपलच्याल (आई0ए0एस0)
अध्यक्ष
आयुक्त, गढ़वाल मंडल।